रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 1987/चैत्र 26, 1909
No. 185] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 1987/CHAITRA 26, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1987

अधिसूचनाएं

का. आ. 393(अ) : केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 7 के पश्चात् निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

1	2	3	4
8.	रंजक और रंजक मध्यवर्ती उद्योग		संकेन्द्रण प्रतिलिटर मिलिग्राम से अधिक नहीं होगा (बी ओ डी ताप और जैव आमापन को छोड़कर)
		निलम्बित पिंड	100
		पी एच ताप	6 से 8.5 (ग्राही काम निकाय के परिवेश ताप से 5°सें से अधिक नहीं होगा
		पारद (एच जी के रूप में)	0.01
		हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम सी आर के रूप में	0.01
		कुल क्रोमिया (सी आर के रूप में)	2.0
		ताम्बा (सी यू के रूप में)	3.0

1	2	3	4
		जस्ता (जैड एन के रूप में)	5.0
		निकल (एन आई के रूप में)	3.0
		कैडमियम (सी डी के रूप में)	2.0
		क्लोराइड (सी एल के रूप में)	1000
		सल्फेट (एस ओ के रूप में)	1000
		फीनालीय मिश्र (सी$_6$ एच$_5$ ओ एच के रूप में)	1.0
		तेल और चिकनाई	10
		आमापन परीक्षण (बहिस्रावों के 1:8 तनूकरण सहित)	96 घंटों के पश्चात् परीक्षण पशुओं का उत्तरजीवन 90%

क्लोराइड और सल्फेट के मानक, अन्तः स्थलीय और भूतल जल स्रोतों में विसर्जन को लागू हुंते हैं किन्तु जब सिंचाई के लिए भूमि पर विसर्जन किया जाए तो क्लोराइड के लिए परिसीमा प्रति लिटर 600 मि. ग्रा. से अधिक नहीं होगी और सोडियम का अभिशोषण अनुपात 26 से अधिक नहीं होगा।

9. विद्युत लेपन उद्योग		संकेन्द्रण प्रति लिटर मिलिग्राम से अधिक नहीं होगा (पी एच और ताप को छोड़कर
	पी एच ताप	6.0 से 9.0 ग्राही काय निकाय के परिवेश ताप से 5° सें. से अधिक नहीं होगा
	तेल और चिकनाई	10
	निलम्बित पिंड	100
	साइनाइड (सी एन के रूप में)	0.2
	अमोनियामय नाइट्रोजन (एन के रूप में)	50
	कुल अवशिष्ट क्लोराइड (सी एल के रूप में)	1.0
	कैडामियम (सी डी के रूप में)	2.0
	निकल (एन आई के रूप में)	3.0
	जस्ता (जैड एन के रूप में)	5.0
	हेक्सावेलेंट क्रोमियम (सी आर के रूप में)	0.1
	कुल क्रोमियम (सी आर के रूप में)	2.0
	ताम्बा (सी यू के रूप में)	3.0
	सीसा (पी बी के रूप में)	0.1
	लोहा (एफ ई के रूप में)	3.0
	कुल धातु	10.0
10. सीमेंट संयंत्र संयंत्र क्षमता	कुल धूल (सभी अनुभाग)	प्रति सामान्य घन-लिटर में मिलिग्राम से अधिक नहीं
200 टन प्रति दिन	कुल धूल	400
200 टन से अधिक	(सभी अनुभाग)	250

केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कड़े मानक नियत कर सकेंगे जो छोटे संयंत्रों के लिए प्रति सामान्य घन मीटर 250 मिलिग्राम से और बड़े संयंत्रों के लिए प्रति सामान्य घन मीटर 150 मिलिग्राम से अधिक नहीं होगा यदि उद्योग ऐसे क्षेत्र में अवस्थित है जहां उनकी राय में अधिक कड़े मानकों की अपेक्षा है।

जहां धूल उत्सर्जन मार्गों पर निरंतर मानीटरन/ समालकों का उपबन्ध किया गया है वहां अनुरूपता मानकों के लिए क्षण स्थायी धूल उत्सर्जन मूल्यों के बदले ऐसी अवधि जो केन्द्रीय और राज्य बोर्डों द्वारा नियत की जाएगी और जो 72 घंटे से अधिक की नहीं होगी, के लिए समायोजित औसत मूल्य पर विचार किया जाएगा।"

[सं. 1(18)/86-पी एफ]

मूल नियम का. आ. सं. 844 (अ) तारीख 19-11-86 के अधीन प्रकाशित किए गए और संशोधनकारी नियम का. आ. सं. 82 (अ), 83 और 84(अ) तारीख 16-2-87 द्वारा प्रकाशित हुए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

New Delhi, the 16th April, 1987.

NOTIFICATIONS

S.O. No. 393(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (i) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 1987.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Environment (Protection) Rules, 1986, after serial number 7, the following shall be inserted namely:—

1	2	3	4
8.	Dye and Dye Intermediate Industries.		Concentration not to exceed milligrammes per litre (except for pH, temperature and bio-assay)
		Suspended Solids	100
		pH	6 to 8.5
		Temperature	Shall not exceed 5°C above the ambient temperature of the receiving body.
		Mercury (As Hg)	0.01
		Hexavalent (As Cr) Chromium	0.1
		Total Chromium (as Cr)	2.0
		Copper (as Cu)	3.0
		Zinc (as Zn)	5.0
		Nickel (as Ni)	3.0

1	2	3	4
		Cadmium (as Cd)	2.0
		Chloride (as Cl)	1000
		Sulphate (as SO_4)	1000
		Phenolic Compounds (as C_6H_5 OH)	1.0
		Oil and Grease	10
		Bio-assay Test (with 1:8 dilution of effluents)	90% Survival of Test animals after 96 hours.

The standards for chlorides and sulphates are applicable for discharge into inland and surface water courses. However, when discharged on land for irrigation, the limit for chloride shall not be more than 600 milligrammes per litre and the sodium absorption ratio shall not exceed 26.

9. Electroplating Industries		Concentration not to exceed milligrammes per litre (except for pH and temperature)
	pH	6.0 to 9.0
	Temperature	Shall not exceed 5°C above the ambient temperature of the receiving body.
	Oil and Grease	10
	Suspended Solids	100
	Cyanides (as CN)	0.2
	Ammonical Nitrogen (as N)	50
	Total Residual Chloride (as Cl)	1.0
	Cadmium (as Cd)	2.0
	Nickel (as Ni)	3.0
	Zinc (As Zn)	5.0
	Hexavalent Chromium (as Cr)	0.1
	Total Chromium (As Cr)	2.0
	Copper (As Cu)	3.0
	Lead (As Pb)	0.1
	Iron (As Fe)	3.0
	Total Metal	10.0

10. Cement Plants Plant Capacity	Total dust	Not to exceed—milligrammes per normal cubic meter
200 tonnes per day	(All Sections)	400
	Total dust	
Greater than 200 tonnes per day	(All Section)	250

The Central and State Pollution Control Boards may fix stringent standards, not exceeding 250 milligrammes per normal cubic meter for smaller plants and 150 milligrammes per normal cubic meter for larger plants if the industry is located in an area which, in their opinion, requires more stringent standards.

Where continuous monitoring integrators are provided on dust emission lines, the integrated average values over a period, to be fixed by the Central and State Boards but not exceeding 72 hours shall be considered instead of momentary dust emission values for conformity to standards."

[No. 1(18)/86-PL]

Principal Rules published vide S.O. No. 844(E) dated 19-11-86.

Amending Rules published vide S.O. No. 82(E), 83(E) and 84(E) dated 16-2-87.

का. आ. 394(अ) :- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खंड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध अधिकारियों और प्राधिकारियों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उस सारणी के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने उल्लिखित अधिकारिता के लिए प्राधिकृत करती है :

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग में कोई निदेशक, संयुक्त सचिव, सलाहकार या अपर सचिव	संपूर्ण भारत
2.	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव	संपूर्ण भारत
3.	राज्य सरकार (पर्यावरण की भारसाधक राज्य सरकार के सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व)	संपूर्ण भारत
4.	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित राज्य जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का या वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 5 के अधिन गठित राज्य वायु प्रदूषण और निवारण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव	संपूर्ण भारत
5.	कलक्टर	संपूर्ण राजस्व जिला
6.	केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड के ऐसे प्रादेशिक अधिकारी जिन्हें जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 20,21,23 के अधीन और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 24 के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।	केन्द्रीय बोर्ड द्वारा यथा अधिकथित क्षेत्र।

1	2	3
7.	राज्य जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड के ऐसे प्रादेशिक अधिकारी जिन्हें जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 20, 21 और 23 के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।	राज्य बोर्ड द्वारा यथा अधिकथित क्षेत्र।
8.	राज्य वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड के ऐसे प्रादेशिक अधिकारी जिन्हें वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 24 के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।	राज्य बोर्ड द्वारा यथा अधिकथित क्षेत्र।

[सं. 1(2)/87 - पी. एल.]

ति. ना. शेषन, सचिव

S.O. 394(E).—In exercise of the powers conferred under clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby authories the officers and authorities listed in column (2) of the Table hereto for the purposes of the said section with the jurisdiction mentioned against each of them in column (3) of that Table:

TABLE

Serial No.	Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Any Director, Joint Secretary, Adviser or Additional Secretary to the Government of India in the Department of Environment, Forests and Wildlife	Whole of India
2.	The Chairman or Member-Secretary of the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution constituted under section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).	Whole of India
3.	The Government of the State (represented by the Secretary to the State Government incharge of environment.	Whole of the State
4.	The Chairman or Member-Secretary of the State Board for the Prevention and Control of Water Pollution constituted under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) or a State Board for the Prevention and Control of Air Pollution constituted under section 5 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)	Whole of the State
5.	Collector	Whole of Revenue District
6.	Regional Officers of the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution who have been delegated powers under sections 20, 21, 23 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and section 24 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).	Area as laid down by the Central Board
7.	Regional Officers of the State Board for the prevention and control of water pollution who have been delegated powers under section 20, 21 and 23 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.	Area as laid down by the State Board
8.	Regional Officers of the State Board for the prevention and Control of Air Pollution who have been delegated powers under section 24 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.	Area as laid down by the State Board

[No. 1(2)/87-PL]

T. N. SESHAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987